



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ. ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क्र. 6549/अका./संब.वृद्धि/2009

रायपुर, दिनांक : 19/06/2009

॥ आदेश ॥

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17/18.06.2009 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निम्न महाविद्यालय को उसके सामने दर्शाये कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए वार्षिक संबद्धता वृद्धि सर्शत प्रदान की जाती है। स्थायी समिति द्वारा की गयी अनुशंसा पर अंतिम निर्णय कार्यपरिषद् की बैठक में किया जायेगा।

क.	शिक्षा-सत्र	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय
01.	2009-10	शिवा कॉलेज, भिलाई, जिला-दुर्ग	B.Sc., B.Ed. (Seat 100), M.Ed.

- शर्त :- (1) महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम हेतु परिनियम-28 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति 03 माह के अंदर अनिवार्य रूप से पूर्ण कर विश्वविद्यालय को अवगत कराएँ।  
(2) शिक्षक एवं कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाए, जिसके बैंक की सत्यापित प्रति से विश्वविद्यालय को अवगत कराएँ।

आदेशानुसार

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

रायपुर, दिनांक : 19/06/2009

पृ. क्र. 6550/अका./संब.वृद्धि/2009  
प्रतिलिपि-

01. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, भोपाल (म.प्र.)।
02. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर।
03. संचालक, एस.सी.ई.आर.टी., शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)।
04. वि.क.अ. परीक्षा/गोपनीय/नामांकन/विकास/वित्त विभाग,
05. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,  
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)